

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठारिीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 125/2022

उनवान

1. शंकर सिंह पुत्र श्री रामुन्दर सिंह जाति राजपुत नि० ग्राम गुवारडी तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

वनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रयोजना कार्यान्वयन, ईकाई चितौडगढ साईट ऑफिस ए-8, रूपाय नगर, युआईटी के पीछे भीलवाडा जरिये परियोजना निदेशक।
2. रामपतराज जाति चपलोट एच.यु.एफ कर्ता रामपतराज जी चपलोट, एफ-101,102, अंकिता अपार्टमेन्ट एच.एस जोशी रोड दहीसर ईस्ट गुम्बई(महाराष्ट्र) हाल निवारी-मालिक/मेनेजर द व्हाईट रीजन होटल, एन.एच. चितौडगढ रोड, गुवारडी नाले के पारा, गुवारडी तह० हमीरगढ, जिला भीलवाडा
3. रेलवे स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन मण्डपिया, तहरील हमीरगढ, भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहरीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 23.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 03.09.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुवारडी प.ह. स्वरूपगंज, भू.अ.नि. खैराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 308 की आ.न. 282 रकबा 0.0759 है०, आ.न. 1364/281 रकबा 0.3735 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.09.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायात 03 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम गुवारडी प.ह. स्वरूपगंज, भू.अ.नि. खैराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 308 की आ.न. 282 रकबा 0.0759 है०, आ.न. 1364/281 रकबा 0.3735 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 23.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ